

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 11.05.2018, (Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013) के आलोक में दिनांक 25.08.2020 को मुख्यालय हरिद्वार, उप-मुख्यालय रुड़की एवं लक्सर हेतु आन्तरिक शिकायत समितियां गठित की गई थी, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के नोटिफिकेशन सं० 367/UHC/Admin.A-2/2023 दिनांकित 10.11.2023 के अनुपालन में सुश्री प्रतिभा तिवारी, तत्कालीन अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो, हरिद्वार का माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में Registrar Inspection के पद पर स्थानान्तरण हो चुका है। अतः माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक-2191/UHC/Admin.B/XVII-51/2010 दिनांकित 25.05.2018 के अनुपालन में मुख्यालय हरिद्वार, उप-मुख्यालय रुड़की एवं लक्सर हेतु निर्मांकित आन्तरिक शिकायत समिति पुर्नगठित की जाती हैं जिसमें निर्मांकित को अध्यक्ष/सदस्य नामित किया जाता है:

मुख्यालय हरिद्वार

क्र०सं०	नाम	नामित पद	पता
1.	सुश्री कुसुम शानी	अध्यक्ष	अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो, हरिद्वार।
2.	सुश्री संगीता आर्य	सदस्य	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
3.	सुश्री शिखा भण्डारी	सदस्य	प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

उप-मुख्यालय रुड़की

क्र०सं०	नाम	नामित पद	पता
1.	सुश्री त्रिचा रावत	अध्यक्ष	अपर वरिष्ठ सिविल जज, रुड़की।
2.	सुश्री बुशरा कमाल	सदस्य	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुड़की।
3.	सुश्री शिवानी नाहर	सदस्य	प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुड़की।

उप-मुख्यालय लक्सर

क्र०सं०	नाम	नामित पद	पता
1.	सुश्री सीमा डुंगराकोटी	अध्यक्ष	वरिष्ठ सिविल जज, लक्सर।
2.	सुश्री चन्द्रेश्वरी सिंह	सदस्य	न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्सर।

उपर्युक्त समितियों के गठन की सूचना समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों को प्रेषित की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त समितियों का गठन महिला कार्मिकों को उनके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। यदि किसी महिला कार्मिक या न्यायालय परिसर में आने वाली किसी महिला एवं बार की किसी महिला सदस्य को यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो वह उपर्युक्त समितियों के अध्यक्ष के नाम लिखित में अपनी शिकायत उनके कार्यालय में दे सकते हैं, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। समिति की बैठक न्यायालय परिसर में अध्यक्ष के बुलाये जाने पर की जायेगी, समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार का कोई मानदेय देय नहीं होगा। उपरोक्त समितियां गठन की तिथि से तीन वर्षों तक अस्तित्व में रहेगी। आन्तरिक शिकायत समिति से सम्बन्धित दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। तदनुसार सूचित हों।

(सिकन्दर कुमार त्यागी)
जिला न्यायाधीश,
हरिद्वार।